पत्र सं०- 28/डा०से०-18/2010.....8210.. वि(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग ।

पटना, दिनांक-.....5.9.11.....

विषयः- सार विपत्र (ए.सी. विपत्र) के माध्यम से निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र तथा सहायक अनुदान संबंधी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08, वर्ष 2008-09 से 2009-10 तथा वर्ष 2010-11 की अवधि के लंबित सार विपत्रों के विरूद्ध डी.सी. विपत्र तथा सहायक अनुदान मद की लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने संबंधी मामलों की समीक्षा से विदित होता है कि विगत दिनों में इस संदर्भ में प्रगति धीमी हुई है जो चिंता का विषय है । इस संबंध में पूर्व में निम्नांकित निर्देश निर्गत हैं :-

(क) वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका- "ज" में स्पष्ट रूप से अंकित है कि "ए.सी. विपत्र पर निकासी की गई राशि का व्यय अगर निर्धारित छः माह की अवधि, जिसमें डी.सी. विपत्र समर्पित करना है, तक नहीं हो सके तो उक्त राशि को कोषागार में जमा करा दिया जाय । कोषागार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के जिम्मे छः माह से अधिक की अवधि का ए.सी. विपत्र लंबित हो, उन्हें ए.सी. बिल पर तब तक कोई निकासी नहीं करने दी जाएगी जबतक वे ऐसे ए.सी. विपत्रों से संबंधित डी.सी. विपत्र महालेखाकार को उपलब्ध नहीं करा देते हैं ।"

(ख) वित्त विभागीय पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.2010 में अंकित किया गया है कि "जिन कारणों से संबंधित राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित नहीं किया जा सका है, उसके संबंध में निराकरण करते हुए यदि आवश्यकता हो तो वित्त विभाग का परामर्श लेकर अथवा अवशेष राशि को कोषागार में जमाकर डी.सी. विपत्र समर्पित करायेंगे । यहाँ तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के स्वयं के वेतनादि की निकासी का प्रश्न है, इस संबंध में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि संबंधित डी.सी. बिल समर्पित नहीं करने के लिए स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार है या नहीं अथवा कौन से पदाधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार है एवं उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकार को प्रस्ताव दिया जाय ।"

2. विभिन्न विभागों के साथ की गयी समीक्षात्मक बैठक से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के जिम्मे पूर्व से सार विपत्र पर निकासी की गयी राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित करना शेष है, उन्हें भी विभाग के स्तर से विभिन्न मदों में राशि का आवंटन दिया जा रहा है जिसकी निकासी ए.सी. विपत्र के माध्यम से की जाती है ।

उक्त आलोक में निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :-

(क) विभाग के स्तर पर लंबित ए.सी. विपत्र की राशि का डी.सी. विपत्र समर्पित कराने हेतु जिलावार/डी.डी.ओ.वार समीक्षा की जाय तथा जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लंबित ए.सी. विपत्र की राशि को डी.सी. विपत्र समर्पित नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध उपर अंकित निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय तथा संबंधित शीर्ष में आगे आवंटन वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं दिया जाय ।

(ख) वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका ज तथा वित्त विभागीय पत्रांक 9626 दिनांक 03.09.2010 में वर्णित निदेश का अनुपालन दृढ़ता से करायी जाय ।

(ग) संबंधित संस्था से सहायक अनुदान मद की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर तथा विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर स्वीकृत्यादेशवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र (स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न करते हुए) महालेखाकार (ले. एवं ह.) को प्रेषित करने के पश्चात् ही सहायक अनुदान मद की राशि संबंधित Grantee Institution को दी जाए ।

विश्वासभाजन

3/9/2011

(रामेश्वर सिंह)

प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

------x----

ज्ञापांक-5प/वि-1-11/2010- 6677 /पं0रा0, पटना, दिनांक- 22-09-2011

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/अवर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक-8210 वि. (2) दिनांक 5.9.11 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/9/11

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ।

22-9-11

प्रकाश